अध्याय–2
सामान्य सिद्धांत

4. एमवाईटी ढाँचा

4.1. इस विनियम को निर्दिष्ट करते समय आयोग, अधिनियम की धारा 61 और 62, राष्ट्रीय विद्युत नीति और राज्य में उत्पादन केंद्रों, पारेषण लाइसेंसधारी/एसटीयू, वितरण लाइसेंसधारी के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति, राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) हेतु शुल्क और प्रभारों के निर्धारण हेतु अधिनियम की धारा 32 (3), और सीईआरसी (टैरिफ के निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 में निहित सिद्धांतों द्वारा दिषा–निर्देशित है।

परतु यह कि आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी उत्पादन कंपनी या एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा उसे दिए गए आवेदन पर, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए, बहु–वर्षीय टैरिफ ढाँचे के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण से ऐसी छूट प्रदान करने वाले आदेश में निहित अवधि के लिए छूट दे सकेगा, और ऐसा टैरिफ, आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित किया जाएगा।

4.2. बहु–वर्षीय टैरिफ ढांचा, उत्पादन कंपनी, एसयूटी/पारेषण लाइसेंसधारी, एसएलडीसी, वितरण व्हीलिंग व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए कुल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण हेतु निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होगा :

(क) नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने से पूर्व नियंत्रण अवधि से कम अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना का अनुमोदन;

(ख) ट्रूइंग–अप तंत्र;

(ग) अनियंत्रित मदों के हस्तांतरण तंत्र;

(घ) नियंत्रणीय मदों के कारण लाभ या हानि के बंटवारे का तंत्र;

(ङ) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग एआरआर और टैरिफ एवं प्रभारों का निर्धारण;

(च) एकीकृत कोयला खदान से कोयले के इनपुट मूल्य का निर्धारण।

5. याचिका दायर करने की प्रक्रिया :

5.1. बहु–वर्षीय टैरिफ याचिका, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अनुसार और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट एआरआर के निर्धारण के सिद्धांतों के अनुपालन में, समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में, उत्पादन कंपनी, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, एसएलडीसी और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर की जाएगी।

5.2. उत्पादन कंपनी, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और एसएलडीसी, विनियम 5.7(क)(i) के अनुसार 30 नवंबर 2025 तक एमवाईटी आवेदन दायर करेंगे, जबकि वार्षिक ट्रू–अप याचिका, विनियमन 5.7(ख)(i) के अनुसार चालू वर्ष के 30 नवंबर तक दायर की जाएगी।

5.3. वितरण लाइसेंसधारी, विनियमन 5.7(क)(ii) के अनुसार 30 नवंबर 2025 तक एमवाईटी याचिका दायर करेंगे, जबकि वार्षिक ट्रू–अप याचिका, विनियमन 5.7(ख)(ii) के अनुसार चालू वर्ष के 30 नवंबर तक दायर की जाएगी।

5.4. याचिकाकर्ता को आयोग द्वारा अपने पिछले आदेशों में जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण, अपनी एमवाईटी याचिका और/या वार्षिक ट्रू–अप याचिका, जैसा भी लागू हो, के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5.5. किसी भी लाइसेंसधारी द्वारा की जाने वाली सभी फाइलिंग, सीएसईआरसी (लाइसेंस) विनियम, 2004, उसके संशोधनों और लाइसेंस की शर्तों के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। एमवाईटी फाइलिंग, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति से की जाएगी, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये।

5.6. प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ के निर्धारण या प्रत्येक वर्ष के लिए पहले से निर्धारित टैरिफ को जारी रखने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, समय–समय पर यथा संशोधित सीएसईआरसी (शुल्क और प्रभार) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट शुल्क संलग्न होगा। आयोग, आवेदन पर स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है और आवेदक को आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक या उससे पहले स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करनी होगी।

5.7. इस विनियम के अंतर्गत नियंत्रण अवधि के लिए दाखिल की जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

(क) एमवाईटी याचिका में निम्नलिखित शामिल होंगे :

i. उत्पादन, पारेषण और एसएलडीसी व्यवसाय के लिए –

1. पिछले वर्ष के लिए ट्रू–अप करना ;
2. संपूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहु–वर्षीय समग्र राजस्व आवश्यकता;
3. संपूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ और शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु आवेदन;

ii. वितरण तार व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए –

1. पिछले वर्ष के लिए ट्रू–अप करना;

2. संपूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहु–वर्षीय समग्र राजस्व आवश्यकता;

3. विद्यमान टैरिफ और प्रभारों पर बिजली की खुदरा बिक्री से राजस्व और नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व अंतराल/अधिशेष;

4. नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए प्रस्तावित श्रेणीवार टैरिफ या शुल्क एवं प्रभारों के साथ खुदरा टैरिफ प्रस्ताव के लिए आवेदन।

यदि वितरण तार व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय की लेखा पुस्तकें अलग–अलग नहीं हैं, तो इसकी कुल राजस्व आवश्यकता को विनियम 79 में विनिर्दिष्ट आवंटन मैट्रिक्स के अनुसार वितरण तार व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के बीच विभाजित किया जाएगा।

(ख) नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के बाद और उसके बाद, वार्षिक ट्रू–अप याचिका में निम्नलिखित शामिल होंगेः

i उत्पादन, पारेषण और एसएलडीसी व्यवसाय के लिए – पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए ट्रू–अप।

परंतु यह कि, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, ट्रू–अप याचिका के साथ अल्पकालिक ओपन एक्सेस ग्राहकों के लिए आगामी वर्ष के लिए ट्रांसमिशन प्रभार के निर्धारण हेतु प्रस्ताव भी दाखिल करेगा;

परंतु यह और कि एसएलडीसी, ट्रू–अप याचिका के साथ आगामी वर्ष के लिए सिस्टम ऑपरेशन प्रभार (एसओसी) और मार्केट ऑपरेशन प्रभार (एमओसी) के निर्धारण हेतु प्रस्ताव भी दाखिल करेगा।

ii. वितरण तार एवं खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिये–

1. पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए ट्रूइंग–अप याचिका;

2. आगामी वर्ष के लिए संशोधित श्रेणीवार बिक्री अनुमान;

3. आगामी वर्ष के लिए संशोधित विद्युत क्रय मात्रा/लागत (यदि कोई हो), उसके विवरण सहित;

4. विद्युत क्रय लागत में संशोधन के कारण आगामी वर्ष के लिए संशोधित समग्र राजस्व आवश्यकता;

5. आगामी वर्ष के लिए विद्यमान टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व;

6. आगामी वर्ष के लिए अनुमानित संचयी राजस्व अंतराल/अधिशेष;

7. आगामी वर्ष के लिए संशोधित समग्र राजस्व आवश्यकता को पूरा करने हेतु खुदरा टैरिफ प्रस्ताव के साथ–साथ आगामी वर्ष के लिए

एआरआर के पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन, साथ ही पिछले वर्ष के ट्रू–अप के बाद संचयी राजस्व अंतराल/अधिशेष।

(ग) उत्पादन कंपनी, ट्रू–अप याचिका के साथ उत्पादन केंद्र–वार निष्पादन डेटा प्रस्तुत करेगी।

(घ) किसी भी अवधि के लिए ट्रू–अप, उन विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा, जिनके अंतर्गत उस वर्ष के लिए टैरिफ निर्धारित किया गया था;

परंतु यह कि, यदि याचिका, विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर दायर नहीं की जाती है और/या याचिका पर कार्रवाई के लिए आयोग द्वारा मांगा गया डेटा निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो परिणामी देरी के कारण वहन लागत, यदि कोई हो, उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, को नहीं दी जाएगी।

परंतु यह और है कि नियंत्रण अवधि (कंट्रोल पीरियड) के दौरान किसी भी समय पिटीशन फाइल की जा सकती है, यदि ऐसे अनियंत्रणीय कारकों (अनकंट्रोल फैक्टर्स) में बदलाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ में अचानक, तीव्र और निरंतर वृद्धि हो सकती है।

(ङ) आयोग, उन पिछले वर्षों के लिए भी ट्रू–अप याचिका पर विचार करेगा, जहाँ ट्रू–अप, अनंतिम खातों के आधार पर किया गया है।

5.8. कोई उत्पादन कंपनी, इकाई या प्रक्रम या समग्र रूप से उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक संचालन की अनुमानित तिथि से 120 दिवस पहले या उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के लिए, जैसी भी स्थिति हो, अनंतिम टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका दायर कर सकेगी, जो याचिका दायर करने की तिथि तक या याचिका दायर करने से पहले की तिथि तक वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय पर आधारित होगी, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षकों/चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित और/या प्रमाणित किया गया हो और यथास्थिति अनंतिम टैरिफ, ऐसी इकाई या प्रक्रम या उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से लागू होगा।

5.9. उत्पादन कंपनी, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों हेतु अनुपूरक टैरिफ के लिए अलग–अलग उत्पादन स्टेशन–वार याचिका दायर करेगी।

5.10. एकीकृत खदान के संबंध में, उत्पादन कंपनी, ऐसी खदान से कोयले के इनपुट मूल्य के निर्धारण के लिए अलग–अलग खदान–वार याचिका दायर करेगी।

5.11. इन विनियमों के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी, उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक संचालन की तिथि तक किए गए वास्तविक पूंजीगत व्यय के आधार पर अंतिम टैरिफ/अनुपूरक टैरिफ के निर्धारण के लिए, या उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के लिए, जैसी भी स्थिति हो, एक नई याचिका दायर करेगी, जिसके लिए अनंतिम टैरिफ

अनुमोदित है, जो वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित हो।

5.12. आयोग द्वारा निर्धारित अनंतिम टैरिफ और अंतिम टैरिफ (अभिव्यक्ति टैरिफ में अनुपूरक टैरिफ शामिल है) में कोई भी अंतर, जो उत्पादन कंपनी के लिए जिम्मेदार नहीं है, अगले वर्ष के लिए अंतिम टैरिफ के निर्धारण के समय या आयोग के निर्देशानुसार समायोजित किया जा सकता है।

6. याचिका का निपटान :

6.1. आयोग, समय–समय पर यथा संशोधित सीएसईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2009 सहपठित इन विनियमों के अनुसार आवेदकों की बहु–वर्षीय टैरिफ याचिका पर कार्रवाई करेगा।

6.2. उत्पादन कंपनी, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और एसएलडीसी द्वारा दायर टैरिफ याचिका की प्रतियां, आयोग के कार्यालय में और आयोग द्वारा निर्देशित आवेदक के ऐसे कार्यालयों में प्रभार के भुगतान पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

6.3. टैरिफ याचिका को, सभी हितधारकों की आसान पहुंच के लिए याचिकाकर्ता की वेबसाइट और आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में भी अपलोड किया जाएगा।

6.4. आयोग, आवेदक द्वारा प्रस्तावित एआरआर और अपेक्षित ईआरसी पर प्रचलित और प्रस्तावित टैरिफ के आधार पर कार्यवाही करेगा और ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेने से पहले, आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले व्यक्तियों की सुनवाई करेगा।

6.5. उत्पादन कंपनी, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और एसएलडीसी, आयोग द्वारा प्रकाशन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का सारांश प्रकाशित करेंगे, जिसमें याचिका की उन मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा जो विभिन्न हितधारकों के लिए रुचिकर हों, कम से कम तीन समाचार पत्रों में, जिनमें से दो हिंदी में और एक अंग्रेजी में हो, जिनका राज्य या याचिकाकर्ता के क्षेत्र में व्यापक प्रसार होः

परंतु यह कि हितधारकों द्वारा सुझाव/आपत्ति दर्ज करने के लिए न्यूनतम 21 दिन का समय दिया जाएगा।

6.6. याचिकाकर्ता को, अनुमोदित टैरिफ सहित आदेश का सारांश, कम से कम तीन दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से दो हिंदी में और एक अंग्रेजी में हों, अपने आपूर्ति क्षेत्र में व्यापक प्रसार संख्या वाले में, प्रकाशित कराना होगाः

परंतु यह कि ऐसा टैरिफ, उस तिथि से प्रभावी होगा, जो आयोग द्वारा संबंधित टैरिफ आदेश में निर्धारित की जाए।

6.7. आयोग, आदेश जारी करने के सात दिनों के भीतर, आदेश की एक प्रति राज्य सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित उत्पादन कंपनी/लाइसेंसधारी/एसएलडीसी को भेजेगा।

7. पूंजी निवेश योजना :

7.1. उत्पादन कंपनी, एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी, एसएलडीसी और वितरण लाइसेंसधारी, 30 अक्टूबर, 2025 तक आयोग के अनुमोदन के लिए पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेंगे।

7.2. पूंजी निवेश योजना, संपूर्ण नियंत्रण अवधि को कवर करेगी, जिसमें नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग विवरण होंगे।

7.3. पूंजी निवेश योजना, नई उत्पादन परियोजनाओं या पारेषण/वितरण योजनाओं (लाइनों, सब–स्टेशनों, बेयस आदि के लिए) या क्षमता वृद्धि/संवर्द्धन हेतु प्रणाली संचालन या उपयोगी जीवन पूरा होने पर विद्यमान क्षमताओं का नवीनीकरण या कानून के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्य या संशोधित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु किए गए व्यय या मूल कार्यक्षेत्र में शामिल कार्यों के आस्थगित निष्पादन या दक्षता सुधार या ऐसे कार्यों के संबंध में हो सकती है, जो प्रणाली के संचालन के लिए समीचीन हो सकते हैं :

(क) पूंजी निवेश योजना में, उन चालू परियोजनाओं को अलग से दर्शाया जाएगा, जो नियंत्रण अवधि में विस्तारित होंगी, और ऐसी नई परियोजनाओं को (औचित्य सहित), जो नियंत्रण अवधि में शुरू होंगी, किंतु नियंत्रण अवधि के भीतर या उसके बाद पूरी हो सकती हैं।

(ख) पूंजी निवेश योजना में, योजना का विवरण, पूंजीगत लागत का मदवार विवरण, कार्य का औचित्य, पूंजीकरण अनुसूची, पूंजी संरचना, लागत–लाभ विश्लेषण और योजनाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन, जैसा भी लागू हो, शामिल होगा।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्तः

i. उत्पादन कंपनी, नई परियोजनाओं के संबंध में विद्युत बिक्री व्यवस्था प्रस्तुत करेगी।

ii. विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनाएं, जो उपयोगी जीवन पूरा कर चुके हो, उत्पादन कंपनी, आरएलए अध्ययन रिपोर्ट एवं लागत–लाभ विश्लेषण अंतर्विष्ट करते हुए एक याचिका प्रस्तुत करेगी तथा विद्युत संयंत्रों की दक्षता वृद्धि हेतु बनाई गई सभी योजनाओं के लिए, उत्पादन कंपनी, लागत–लाभ विश्लेषण सहित अपेक्षित प्रदर्शन लक्ष्यों वाली एक याचिका प्रस्तुत करेगी;

iii. पारेषण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा भविष्य के भार पूर्वानुमान के संबंध में विद्युत निकासी योजना और प्रणाली सुदृढीकरण योजना प्रस्तुत करेगा;

iv. वितरण लाइसेंसधारी, बिक्री पूर्वानुमान, भार पूर्वानुमान, विद्युत क्रय योजना और 24 X 7 गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपाय प्रस्तुत करेगा;

v. वितरण लाइसेंसधारी, बिलिंग में पारदर्शिता लाने, वितरण हानि को कम करने और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के लिए सभी कनेक्शनों पर मीटर लगाने की योजना प्रस्तुत करेगा।

परंतु यह कि वितरण लाइसेंसी, टीओटीईएक्स (TOTEX) मॉडल के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव दे सकता है, और टेंडरिंग प्रोसेस का विवरण, लागत–लाभ विष्लेषण, वार्षिक व्यय का अनुमान, और उस पर विनिष्चय करने के लिए कोई भी अन्य सुसंगत जानकारी प्रस्तुत कर सकता है।

7.4. आयोग, लागत–लाभ विश्लेषण सहित विवेकपूर्ण जाँच के बाद और सभी हितधारकों को विचार/सुझाव/आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने और प्रस्तावित योजना पर सुनवाई करने तथा इस प्रकार प्राप्त आपत्तियों/सुझावों और आवेदक द्वारा प्रदान की गई किसी भी अतिरिक्त जानकारी पर विचार करने के बाद, पूंजी निवेश योजना को अनुमोदित करेगा।

7.5. आयोग, इन विनियमों के अनुसार टैरिफ आदेश जारी करने से पहले पूंजी निवेश योजना को अनुमोदित करेगा और टैरिफ आदेश में अनुमोदित पूंजी निवेश योजना के प्रभाव पर विचार करेगा।

7.6. किसी भी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और एसएलडीसी, अनुमोदित पूंजी निवेश योजना में संशोधन के लिए आयोग से अनुरोध कर सकते हैं या अतिरिक्त सीआईपी दाखिल कर सकते हैं।

7.7. लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, जीवन और संपत्ति के लिए खतरे को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होने पर, तत्काल कार्य शुरू कर सकती है, तात्कालिकता की प्रकृति की पूर्व सूचना के अध्यधीन, प्रस्तावित कार्य और लागत अनुमान के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे सकती है। ऐसे मामलों में, आयोग की पूर्वव्यापी अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

8. कतिपय चरों (variables) के लिए विशिष्ट प्रक्षेप पथ :

8.1. आयोग, टैरिफ आदेश में ''नियंत्रणीय'' चरों के लिए प्रक्षेप पथ निर्धारित कर सकता है।

9. टैरिफ का निर्धारण :

9.1. इस विनियमन में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, आयोग को, किसी भी उत्पादन कंपनी या एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी के टैरिफ, उसके निर्बंधनों और शर्तों सहित, का निर्धारण करने का प्राधिकार, हमेशा स्वप्रेरणा से या आवेदक द्वारा दायर याचिका पर होगा।

9.2. किसी उत्पादन केंद्र के संबंध में टैरिफ, पूरे उत्पादन केंद्र या उत्पादन केंद्र के किसी चरण, इकाई या ब्लॉक के लिए निर्धारित किया जा सकता है, और पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ पूरे पारेषण प्रणाली या पारेषण प्रणाली के किसी भी भाग के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

9.3. वितरण लाइसेंसधारी के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ, व्हीलिंग प्रभार और विविध प्रभार पूरे वितरण प्रणाली के लिए आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

9.4. आयोग, निम्नलिखित के लिए टैरिफ और इनपुट मूल्य तथा शुल्क एवं प्रभार निर्धारित करेगा :

(क) इन विनियमों के अध्याय–4 के अनुसार विद्युत उत्पादन;

(ख) इन विनियमों के अध्याय–5 के अनुसार एकीकृत खदान से कोयला और लिग्नाइट;

(ग) इन विनियमों के अध्याय–6 के अनुसार विद्युत पारेषण;

(घ) इन विनियमों के अध्याय–7 के अनुसार वितरण व्हीलिंग व्यवसाय;

(ङ) इन विनियमों के अध्याय–8 के अनुसार खुदरा आपूर्ति व्यवसाय; और

(च) इन विनियमों के अध्याय–9 के अनुसार एसएलडीसी;

(छ) इन विनियमों के अध्याय–10 के अनुसार बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ।

10. ट्रूइंग–अप :

10.1. उत्पादन कंपनी या एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, इन विनियमों के अनुसार नियंत्रण अवधि के दौरान विनियम 11 के अनुसार परिभाषित नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय वस्तुओं के ट्रूइंग–अप के अध्यधीन होगा।

10.2. उत्पादन कंपनी, एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और एसएलडीसी, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष ट्रू–अप के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे :

परंतु यह कि, उत्पादन कंपनी या एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, आयोग द्वारा यथा विहित प्रारूप में डेटा और जानकारी, लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षित खातों, लेखा–पुस्तकों के उद्धरण और ऐसे अन्य विवरण, जिनकी आयोग को अनुमोदित पूर्वानुमान से वित्तीय प्रदर्शन में किसी भी भिन्नता के कारणों और सीमा का आकलन करना अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

10.3. यदि लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध नहीं हैं, तो अनंतिम ट्रू–अप अ–लेखापरीक्षित/अनंतिम खाते के आधार पर की जाएगी और ऐसी ट्रू–अप, अगली ट्रू–अप फाइलिंग के साथ लेखापरीक्षित किए गए खाते के आधार पर आगे अंतिम ट्रूइंग–अप के अध्यधीन होगा।

10.4. ट्रूइंग–अप के दायरे में, उत्पादन कंपनी या एसयूटी/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी के कार्य–निष्पादन की अनुमोदित पूर्वानुमान के साथ तुलना शामिल होगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) आवेदक के पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) के लेखापरीक्षित कार्य–निष्पादन की तुलना ऐसे पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) के अनुमोदित पूर्वानुमान के साथ, विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन, जिसमें नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ/हानि का बंटवारा और सभी अनियंत्रणीय कारकों के प्रभाव का हस्तांतरण शामिल है;

(ख) आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा;

(ग) कोई अन्य प्रासंगिक विवरण।

10.5. उत्पादन कंपनी या एसयूटी/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के मामले में ट्रू–अप के शुद्ध वित्तीय प्रभाव का लेखा–जोखा, आयोग द्वारा मुद्रास्फीति, प्राकृतिक आपदा आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए विनियम 12 और विनियम 13 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और इसे वार्षिक आधार पर पारित किया जाएगा।

10.6. एसएलडीसी के मामले में, जहां ट्रूइंग–अप के बाद, वसूल की गई शुल्क और प्रभार, इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक/कम हो जाती है, वहां इस प्रकार वसूल की गई अतिरिक्त राशि या वसूल की जाने वाली कमी, जैसी भी स्थिति हो, अगले वर्ष के लिए शुल्क और प्रभार निर्धारित करते समय या आयोग द्वारा विनिष्चित किए गए अनुसार समायोजित की जाएगी।

10.7. इस नियंत्रण अवधि के प्रारंभ होने से पहले, पिछले वर्ष(वर्षों) की ट्रूइंग–अप, ऐसे लागू विनियमों/आदेशों के अनुसार शासित होगी, जिनके अंतर्गत टैरिफ आदेश पारित किया गया है।

11. नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कारक :

11.1. इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, शब्द ''अनियंत्रणीय कारक'' में निम्नलिखित कारक शामिल होंगे, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, जो आवेदक के नियंत्रण से बाहर थे और आवेदक द्वारा कम नहीं किए जा सके :

(क) अप्रत्याशित घटनाएँ;

(ख) कानून में परिवर्तन;

(ग) न्यायिक निर्णय;

(घ) ईंधन की कीमतें;

(ङ) बिक्री मिश्रण;

(च) बिक्री की मात्रा;

(छ) बिजली खरीद दर;

(ज) मुद्रास्फीति के कारण लागत;

(झ) मानव संसाधन (एचआर) व्यय;

(ञ) आयकर, उपकर और वैधानिक शुल्क (लेवी) सहित सभी कर; और

(ट) आयोग द्वारा स्वीकार किए गए अन्य व्यय।

11.2. इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, शब्द ''नियंत्रणीय कारक'' में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) किसी परियोजना के कार्यान्वयन में लागत वृद्धि के कारण पूंजीकरण, जो ऐसी परियोजना के दायरे में अनुमोदित परिवर्तन, वैधानिक शुल्कों (लेवी) में परिवर्तन, या उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी, जैसी भी स्थिति हो, के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण न हो;

(ख) उत्पादन निष्पादन मानदंड जैसे संयंत्र उपलब्धता कारक, स्टेशन ताप दर, सहायक उपभोग, आदि;

(ग) विनियम 98 के अनुसार गणना की गई ऊर्जा हानियाँ;

(घ) रखरखाव एवं सामान्य (एम एंड जी) व्यय;

(ङ) निष्पादन विनियमों के मानकों में विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में विफलता, सिवाय जहाँ छूट दी गई हो;

(च) तारों की उपलब्धता और आपूर्ति उपलब्धता में परिवर्तन।

12. अनियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हानि के हस्तांतरण के लिये तंत्र :

उत्पादक कंपनी या एसयूटी/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी को अनियंत्रणीय मदों के कारण होने वाले सकल शुद्ध लाभ/हानि को आगामी वर्ष के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से या इन विनियमों के तहत पारित आयोग के आदेश में विहित अनुसार लाभार्थियों/उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किया जाएगा।

13. नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हानि को साझा करने के लिये तंत्र :

13.1. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से जुड़ी नियंत्रणीय मदों के लिए टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्यों और विनियम 97 के अनुसार गणना की गई ऊर्जा हानियों के संदर्भ में अति–उपलब्धि के कारण सकल शुद्ध लाभ को साझा करने की व्यवस्था, लाभार्थी/उपभोक्ता(ओं) को हस्तांतरित की जाएगी और उत्पादन कंपनी, लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, 2:1 के अनुपात में रखी जाएगी :

परंतु यह कि, राज्य के वितरण लाइसेंसधारियों को अपना संपूर्ण उत्पादन आपूर्ति करने वाले उत्पादन केंद्रों के मामले में, लाभ को उत्पादन केंद्रों और वितरण लाइसेंसधारियों के बीच 1:1 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

13.2. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से जुड़ी नियंत्रणीय मदों के लिए टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में कम उपलब्धि के कारण सकल शुद्ध हानि को साझा करने की व्यवस्था और विनियम 98 के अनुसार गणना की गई ऊर्जा हानि लाभार्थी/उपभोक्ता(ओं) को दी जाएगी और उत्पादन कंपनी, लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, 1:2 के अनुपात में रखी जाएगीः

परंतु यह कि, राज्य के वितरण लाइसेंसधारियों को अपना संपूर्ण उत्पादन आपूर्ति करने वाले उत्पादन केंद्रों के मामले में, हानि को उत्पादन केंद्रों और वितरण लाइसेंसधारियों के बीच 1:1 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

14. टैरिफ आदेश :

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर, आयोग, याचिका को ऐसे संशोधनों और/या शर्तों के साथ स्वीकार कर सकता है, जिन्हें न्यायसंगत और समुचित समझा जाए और अधिनियम के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

15. टैरिफ आदेश का पालन :

15.1. इन विनियमों के अंतर्गत पारित सभी टैरिफ आदेश, अगले टैरिफ आदेश जारी होने तक लागू रहेंगे।

15.2. आयोग द्वारा अनुमोदित ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) फॉर्मूले के आधार पर ईंधन लागत और बिजली खरीद के कारण समायोजन को

छोड़कर, किसी भी टैरिफ या उसके किसी भाग में सामान्यतः किसी भी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

16. सब्सिडी तंत्र :

16.1. आयोग, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी सब्सिडी पर विचार किए बिना, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी के लिए लागू पूर्ण–लागत टैरिफ निर्धारित करेगा।

16.2. यदि राज्य सरकार, किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग को सब्सिडी देने का निर्णय लेती है, तो वह लाइसेंसधारी को क्षतिपूर्ति देने के लिए अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम रूप से सब्सिडी जारी करेगी।

16.3. अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत देय सब्सिडी का लेखा–जोखा, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

16.4. आयोग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी के लिए एक त्रैमासिक रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसमें यह निष्कर्ष दिया जाएगा कि क्या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित तिमाही में सब्सिडी की मांग उठाई गई थी, जो सब्सिडी प्राप्त श्रेणी द्वारा खपत की गई ऊर्जा और राज्य सरकार द्वारा घोषित उपभोक्ता श्रेणी–वार प्रति यूनिट सब्सिडी, अधिनियम की धारा 65 के अनुसार सब्सिडी का वास्तविक भुगतान और देय और भुगतान की गई सब्सिडी में अंतर के साथ–साथ अन्य प्रासंगिक विवरणों पर आधारित होगी।

16.5. वितरण लाइसेंसधारी को तिमाही रिपोर्ट संबंधित तिमाही की समाप्ति तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी और आयोग, रिपोर्ट की जांच करेगा और विनियमन 16.4 के अनुसार, यदि कोई सुधार हो तो, उसे प्रस्तुति के तीस दिनों के भीतर, जारी करेगा।

16.6. यदि सब्सिडी का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है, तो आयोग, अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार, सब्सिडी रहित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करेगा।

16.7. यदि सब्सिडी का लेखा–जोखा और सब्सिडी के लिए बिल तैयार करना, अधिनियम या उसके तहत जारी नियमों या विनियमों के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गैर–अनुपालन के लिए वितरण लाइसेंसधारी के संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करेगा।